



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60365

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 962/2026

अंकित @ मयंक अग्निहोत्री

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: नम्रता शुक्ला, संतोष कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 87

माननीय प्रवीण कुमार गिरी, न्यायमूर्ति

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि उन्होंने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस राहत के साथ दायर किया है जिसका उल्लेख पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में किया गया है।
2. पुनरीक्षण में उल्लिखित राहत नीचे वर्णित है:-

"इसलिए अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया इस पुनरीक्षण को स्वीकार करने और विद्वान प्रधान न्यायाधीश/पारिवारिक न्यायालय, औरैया द्वारा आपराधिक वाद संख्या 455/2021 धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता; श्रीमती आकांक्षा एवं अन्य बनाम अंकित @ मयंक अग्निहोत्री में पारित आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 15.11.2025 को निरस्त करने की कृपा करे, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के धारा 127(1) के तहत दायर आवेदन 39 खा को खारिज कर दिया गया है तथा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध वसूली के साथ-साथ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। यह आगे प्रार्थना की जाती है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश/पारिवारिक न्यायालय औरैया द्वारा आपराधिक वाद संख्या 455/2021, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता; श्रीमती आकांक्षा एवं अन्य बनाम अंकित @ मयंक अग्निहोत्री में पुनरीक्षणकर्ता के धारा 127(1) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर आवेदन 39 खा को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश दिनांक 15.11.2025 के प्रवर्तन और प्रभाव को वर्तमान पुनरीक्षण के लंबित रहने तक स्थगित रखा जाए।"

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, औरैया ने आदेश दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दायर आवेदन के अंतिम निर्णय तक पत्नी को 2,500/- रुपये की राशि का अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया है।

4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन तब दायर किया गया था जब पत्नी अपने पिता के घर रह रही थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अब पत्नी, अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, पुनरीक्षणकर्ता के पैतृक घर के एक हिस्से में रह रही है, जबकि शेष हिस्सा किराए पर दिया गया है और उक्त किराया पत्नी द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।
5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भरण-पोषण के रूप में प्रदान की गई 2,500/- रुपये की राशि को पत्नी के किराए की राशि और आवास के बदले अस्वीकार कर दिया जाए।
6. इस न्यायालय ने पूरे अभिलेख का अवलोकन किया है और पाया है कि प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक मामूली राशि प्रदान की गई है और परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2022 को धारा 127 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है, इसलिए, आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।
8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस स्तर पर तर्क दिया कि पुनरीक्षणकर्ता एक महीने की अवधि के भीतर भरण-पोषण का पूरा बकाया जमा करने के लिए तैयार है और मासिक भरण-पोषण राशि नियत तिथि पर भुगतान की जाएगी।
9. उक्त आश्वासन पर, संबंधित पारिवारिक न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध एक महीने की अवधि के लिए कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।
10. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और पुनरीक्षणकर्ता-पति की संपत्ति की कुकी शामिल है और उसके बाद, बैंक के साधारण ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान पत्नी को किया जाएगा।
11. प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, औरैया को निर्देशित किया जाता है कि वे लंबित कार्यवाही का शीघ्रता से निर्णय करें और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन न दें।

(प्रवाण कुमार गिरी, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

के. तिवारी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"